न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

अपील नामा0संख्या 15/19 सन् 2019
आरसीएमएस संख्या 2019/00041
बउनवानीः—

1.आमीन पुत्र बादुल्ला गद्दी मुसलमान निवासी कानसीर तहसील सवाईमाधोपुर

बनाम

1. कमरूद्दीन पुत्र बादुल्ला गद्दी मुसलमान निवासी कानसीर तहसील सवाईमाधोपुर
2. मुमताज पुत्र बादुल्ला गद्दी मुसलमान निवासी कानसीर तहसील सवाईमाधोपुर
3. सलीम पुत्र बादुल्ला गद्दी मुसलमान निवासी कानसीर तहसील सवाईमाधोपुर
4. मावद अली पुत्र स्व.सरताज गद्दी मुसलमान निवासी कानसीर हाल करमोदा तह0 स0मा0
5. सायद पुत्र स्व.सरताज गद्दी मुसलमान निवासी कानसीर हाल करमोदा तह0 स0मा0
6. इमरान पुत्र स्व.सरताज गद्दी मुसलमान निवासी कानसीर हाल करमोदा तह0 स0मा0
7. साबिया बानो पुत्री स्व.सरताज पत्नि कलाम खान जाति गद्दी मुसलमान निवासी कानसीर हाल निवासी गोगोर तह0 स0मा0
8. परवीना बानो पुत्री स्व.सरताज पत्नि आरिफ जाति गद्दी मुसलमान निवासी कानसीर हाल निवासी गोगोर तह0 स0मा0
9. ताजबी पत्नि स्व.सरताज गद्दी मुसलमान निवासी कानसीर हाल करमोदा तह0 स0मा0
10. सरकार जरिये तहसीलदार सवाईमाधोपुर

(अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा दर्ज फैसल नामा0 संख्या 57 निर्णय दिनांक 17.11.2006 वाके ग्राम कानसीर तहसील सवाईमाधोपुर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

उपस्थितः— 1. श्री राधेश्याम योगी — वकील अपीलान्ट
2. श्री मुकेश तेहरिया — वकील रेस्पो. 2—9

—: निर्णय :— **दिनांक 14.10.2019**

अपील अपीलान्ट ने तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा दर्ज फैसल,नामा0 संख्या 57 निर्णय दिनांक 17.11.2006 वाके ग्राम कानसीर तहसील सवाईमाधोपुर के विरूद्ध इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्ध है जिसको खारिज फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा मे दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. की तलबी जरिये नोटिस की गयी एवं अदालत मातहत से सम्बन्धित मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया।

तत्पश्चात बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी।

वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्व होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। यह तर्क भी दिया कि अपीलान्ट व रेस्पो. संख्या 1 लगायत 9 के पूर्वज ग्राम कानसीर के निवासी है एवं आपस मे भाई थे। यह तर्क भी दिया कि हमारे पूर्वज बादुल्ला पुत्र मदारी के खाते में ख0न0 8 रकबा 0.56,ख0न0 263 रकबा 0.14है0, ख0न0 417रकबा 0.02है0, ख0न0 418 रकबा 0.22है0, ख0न0 494 रकबा 0.41 है0, ख0न0 755 रकबा0.18है0, ख0न0 756 रकबा 0.11 है0, ख0न0 934/1486 रकबा 0.12 है0, ख0न0 1138 रकबा 0.02है0, ख0न0 1307 रकबा 0.14है0, ख0न01308 रकबा 0.20 है0 कुल किता 11 कुल रकबा 2.12 है0 तथा खाता संख्या 31 के ख0न0 495 रकबा 0.02 है0,खाता संख्या 33 के ख0न0 208 रकबा 0.14 है0, ख0न0 209 रकबा 0.03 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.17 है0 तथा खाता संख्या 116 के ख0न0 46 रकबा 0.03 है, ख0न0 406 रकबा 0.37 है, ख0न0 406/1430 रकबा 0.39 है0, ख0न0 1486/1522 रकबा 0.18 है, कुल किता 4 कुल किता 1.24 है0, खाता संख्या 165 के ख0न0 9 रकबा 0.75है0, ख0न0 13 रकबा 0.03है0, ख0न0 14 रकबा 0.21है0, ख0न0 267 रकबा 0.10है0, ख0न0 937 रकबा 0.14है0 कुल किता 5 कुल रकबा 1.23 है0 तथा खाता संख्या 103 के ख0न0 496 रकबा 1.13है0,ख0न0 937/1 रकबा 0.14है0,ख0न0 1138/1 रकबा 0.03 है0कुल किता 3 कुल रकबा 1.30है0,खाता संख्या 10 के ख0न0 37/1440 रकबा 0.01 है0,ख0न0 40 रकबा 0.43है0,ख0न0 937/2 रकबा 0.15है0, कुल किता 3 कुल रकबा 0.59 वाके ग्राम कानसीर तहसील सवाईमाधोपुर मे स्थित है। उक्त आराजी का हमारे पूर्वज बादुल्ला की मृत्यु

डॉ० एम० पी० सिंह
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

होने पर अपीलान्ट व रेस्पो. संख्या 1 लगायत 3 व 4 लगायत 8 के पिता व 9 के पति के नाम 1/5 के नामा0 संख्या 88 तस्दीक किया गया है। जिसमे अपीलान्ट को 1/5 हिस्सा प्राप्त हुआ था जिसपर अपीलान्ट वर्तमान मे काश्त कर रहा है। लेकिन अपीलान्ट व रेस्पो. संख्या 1 लगायत 3 के पिता व रेस्पो. संख्या 4 लगायत 8 के दादा व रेस्पो. 9 के दादी ससुर से विरासत मे मिली उक्त आराजी का दिनांक 17.11.2006 को बटवारा आदेश का हवाला देते हुए नामा0संख्या 57 तस्दीक करवाया गया है जिसमे अपीलान्ट बराबर को हिस्सा नही दिया जाकर मात्र 0.59 है0 भूमि दी गयी है। जबकि कमरूद्वीन को 1.39है0, सरताज को 1.91है0, मुमताज को 1.24है0 तथा सलीम को 1.23है0 भूमि दी गयी है। इस प्रकार रेस्पो. द्वारा अपीलान्ट का अनपढ होने का नाजायज फायदा उठाकर गलत तरीके से बटवारा किया गया है। यह तर्क भी दिया कि फर्जी बटवारानामा की आड में अपीलान्ट को कम भूमि दी गयी है। क्योकि बटवारा की दिनांक को मुमताज विदेश मे तथा मुमताज हस्ताक्षर करता है किन्तु बटवारा फार्म मे मुमताज का अंगूॅठा निशानी लगायी गयी है। इसलिए फर्जी बटवांरानामा के आधार पर तस्दीक किये गये उक्त नामा0 संख्या 57 दिनांक 17.11.2006 को निरस्त किया जावे। यह तर्क भी दिया कि आदेश जैर अपील की जानकारी दिनांक 6.7.2019 को होने के बाद दिनांक 10.7.2019 को नकल प्राप्त होने पर अपील जानकारी से अन्दर मयाद प्रस्तुत की गयी है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर आदेश जैर अपील खारिज किये जाने बाबत वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया।

विद्वान वकील रेस्पो. द्वारा दौराने बहस कथन किया कि तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधिसम्मत है जिसमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही है। क्योकि आदेश जैर अपील नामा0 57 दिनांक 17.11.2006 तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट व रेस्पो0 के मध्य हुए सहमति बटवारा आदेश दिनांक 14.11.20106 की पालना मे भरकर दर्ज फैसल किया गया है। जहॉ तक सहमति बटवारा दिनांक 14.11.2006 फर्जी होने अथवा किसी के फर्जी हस्ताक्षर होने के प्रश्न है तो उसके लिए उक्त सहमति बटवारा को चेलेन्ज करना चाहिए। यह तर्क भी दिया कि आदेश जैर अपील पक्षकारो के मध्य दिनांक 14.11.2006 को हुए सहमति बटवारा आदेश के आधार पर तस्दीक किया गया है एवं उक्त आदेश प्रभावी रहते उसके आधार पर तस्दीक किये गये नामा0 को निरस्त नही किया जा सकता है। अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने के कारण खारिज किये जाने बाबत वकील रेस्पो. द्वारा निवेदन किया गया।

विद्वान वकील उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्को को सुनने के पश्चात एवं सम्बन्धित पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुॅचता हूॅ, कि वकील अपीलान्ट के अनुसार आदेश जैर अपील नामा0 संख्या 57 दिनांक 17.11.2006 से अपीलान्ट को रेस्पो.की अपेक्षा कम भूमि दी गयी है इसलिए उक्त नामा0 खारिज किया जावे। किन्तु वकील रेस्पो. द्वारा किये गये कथन एवं प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार उक्त नामा0 अपीलान्ट एवं रेस्पो. के मध्य हुए सहमति बटवारा दिनांक 14.11.2006 के आधार पर तस्दीक किया गया है। यदि उक्त बटवारानामा आदेश में अपीलान्ट को कम भूमि दी गयी है तो उक्त सहमति बटवारा आदेश को सक्षम न्यायालय में चेलेन्ज करना चाहिए था। इस प्रकार उक्त प्रकरण में वकील रेस्पों. द्वारा किये गये कथन की पुष्टि उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात से बखुबी हो जाती है। यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त नामा0 का मुख्य आधार सहमति बटवारा दिनांक 14.11.2006 है जिसके प्रभावी रहते हुए आदेश जैर अपील को खारिज नही किया जा सकता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नही होने के कारण हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नही है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर आदेश जैर अपील यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 14.10.2019 को लिखवाया जाकर सुनाया गया ।

(डॉ0एस0पी0सिंह)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Satya Pal Singh
Date: 2019.11.28 16:15:41 IST
Reason: SelfAttested
Location: